लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या/80/2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः—08.09.2020

श्री रामदास पिता गणेशदास बैरागी निवासी बोदियाना, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

निर्णय

दिनांक 29.09.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 23.07.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 80/2020/(29.09)/582 दिनांक 08.09.2020 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 29.09.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 29.09.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि उसे सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पूर्ण सूचना उपलबध नहीं कराई है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/लोसूअ/2019—20/732 दिनांक 16.09.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये कि प्रार्थी द्वारा अराजकीय मंदिरों की कृषि भूमि के संबंध में सूचना चाही गई थी, उक्त

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 80/2020 (सू.अ.)
श्री रामदास बैरागी निवासी बोदियाना बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़

सूचना तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक 723 दिनांक 10.09.2020 जरिये रजिस्टर्ड ड़ाक से भिजवाई जा चुकी है। अतः अपील निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/लोसूअ/2019–20/732 दिनांक 16.09.2020 से प्रेषित कमेंट्स का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/लोसूअ/2019–20/732 दिनांक 16.09.2020 से निः शुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कथन किया है इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे किस प्रकार से पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है अथवा किस बिन्दु की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। चूंकि अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा, उसके द्वारा वांछित सूचना/प्रतिलिपियां जरिये ड़ाक द्वारा निः शुल्क उपलब्ध हो जाने से अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./80/2020(सू.अ.)/639 दिनांकः– 29/09/2020

प्रतिलिपिः–

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
2. श्री रामदास पिता गणेशदास बैरागी निवासी बोदियाना, पोस्ट धनेतकलां, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official